

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-26 मई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-46/सा०-एक/एक्स-120(7)/पा.क्ली.क्रिया./2025-26, दिनांक-09.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार क्रमशः रु०-128.00 लाख एवं रु०-50.00 लाख इस प्रकार कुल रु०-178.00 लाख (रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
2403-पशुपालन- 101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य- 07-पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	
01-वेतन	50.00
03-मंहगाई भत्ता	27.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00
29-अनुरक्षण	6.00
39-औषधि तथा रसायन	15.00
42-अन्य व्यय	6.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.00
55-मकान किराया भत्ता	5.00
58-आठट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.50
योग-	128.00
4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय- 101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य- 11-पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50.00
महायोग-	178.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(रूपये एक करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
5. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय ३०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, ३०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुइस) २०१६ एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२ के शासनादेश दिनांक-२६ अगस्त, २०१४ के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
8. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-६/२०२५/बी-१-३५२/दस-२०२५-२३१/२०२५, दिनांक-२७.०३.२०२५ में दिये गये निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु किया जायेगा।
9. यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण/व्यय न किया जाय।
10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में ३०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें व्याज अर्जित हो तो उक्त व्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2403001010700 (पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	01 वेतन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
2 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	03 महगाई भत्ता	27,50,000 (रुपये सताईंस लाख पचास हजार मात्र)
3 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
4 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	29 अनुरक्षण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
5 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
6 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
7 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	55 मकान किराया भत्ता	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
9 015	2403001010700 पशु चिकित्सा पालीकलीनिक	58 आठट सोर्सिंग सेवाओं	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		का संचालन एवं सुदृढीकरण	हेतु भुगतान	मात्र)
	कुल			1,28,00,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठाइस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 4403001011100 (पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	4403001011100 पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)

महायोग	1,78,00,000 (रुपये एक करोड़ अठहतर लाख मात्र)
--------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

प्र०सं०-९७/२०२५/८४५(१)/सैंतीस-२-२०२५/००१-१(२)/२०१३टीसी, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-१/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-१/नियोजन अनु०-३ ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।